संख्या-17/2024/।/506586/2024/001-71-2099-677-2020

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु रोकी गयी अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/कन्स्ट्र0/614/2015/975, दिनांक 10.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा रू0 1172.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 1113.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	**शासनादेश/दिनांक**	**निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)**
1.	57/2015/1707/71-2-2015-पी-52/2014 दिनांक 23 जून, 2015	234.75
2.	07/2016/4824/71-2-15-पी-52/2014 दिनांक 19 जनवरी, 2016	102.00
3.	67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014 दिनांक 24 मई, 2016	450.00
4.	73/2016/2330/71-2-16-पी-52/2014 दिनांक 03 जून, 2016	50.00
5.	41/2017/745/71-2-17-पी-52/2014 दिनांक 31 मार्च, 2017	29.13
6.	10/2018/34/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 18 जनवरी, 2018	125.00
7.	48/2018/449/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 14 मार्च, 2018	50.00
8.	146/2018/3058/71-2-18-पी-52/2014 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9.	01/2020/2947/71-2-2020-पी-52/2014, दिनांक 02.01.2020	22.80
योग		**1113.68**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 05 प्रतिशत रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 58.36 लाख (रूपये अटठावन लाख छत्तीस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 46.11 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 12.25 लाख) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यिय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्यर पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत उक्ता शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, सी0बी0एम0आर0 एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
4. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/ दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
7. प्रायोजना की मूल स्वीीकृति सम्बेन्धी शासनादेश दिनांक 24-05-2016 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 46,11,000 (रुपये छियालीस लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050700 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 12,25,000 (रुपये बारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892700 सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-17/2024/।/506586/2024/001-71-2099-677-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रे ट, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबन्ध/निदेशक, सी0एण्ड, डी0एस0, यूनिट-13, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।